प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 75/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

1. दो पब्लिक दूरसंचार नेटवर्क के बीच इंटरकनेक्शन एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं को दूसरे सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं से संवाद करने को समर्थ बनाता है। प्राधिकरण द्वारा वोइस कॉल के इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) के मूल विनियम वर्ष 2003 में अधिसूचित किए गए थे। घरेलू कॉल समापन प्रभार के संबंध में, आईयूसी में पिछला संशोधन वर्ष 2017 में किया गया था। 2017 के विनियम द्वारा वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल समापन प्रभार को घटाकर 01.10.2017 से 31.12.2019 तक के लिए 0.06 रु. प्रति मिनट किया गया गया है। यह घरेलू वायरलेस से वायरलेस कॉल समापन के लिए बिल एंडकीप (बीएके) रिजिम को 1.1.2020 से शून्य समापन प्रभार के रूप में भी निर्दिष्ट करता है।

2. पिछला संशोधन अधिसूचित करते समय, प्राधिकरण ने कहा था कि वो नई प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने और समापन लागतों पर उनके प्रभाव के संबंध में क्षेत्र के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखेगा। प्राधिकरण ने यह भी टिप्पणी की है कि यदि जरूरी समझा गया तो विनियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष बाद वायरलेस से वायरलेस कॉल्स पर लागू समापन प्रभार की योजना की समीक्षा की जा सकती है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और पिछले दो वर्षों के दौरान इंटर–ऑपरेटर ऑफ–नेट ट्रैफिक में असंतुलन पर करीब से नजर रख रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान, समय–समय पर प्राधिकरण ऑपरेटरों से इंटर–ऑपरेटर ऑफ–नेट ट्रैफिक और प्रौद्योगिकी–वार कॉल वॉल्यूम से संबंधित डाटा प्राप्त करता है। इस डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है, बड़ी संख्या में ग्राहक अभी भी वोइस कॉल के लिए सर्किट स्विच्ड नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हलांकि अवधि के दौरान इंटर–ऑपरेटर ऑफ–नेट ट्रैफिक में असंतुलन में कमी आ रही है मगर यह अभी मौजूद है।

4. इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान परामर्श पत्र वायरलेस से वायरलेस समापन कॉलस के संबंध में बीएके रिजिम के लागू करने की तिथि की समीक्षा को प्रारंभ करता है।

5. परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 18.10.2019 तक और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, 1.11.2019 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

6. टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेलः– sksingl@trai.gov.in या interconnection.trai@gmai1.com पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. के. सिंघल, सलाहकार (बीबीएंडपीए) से टेलीफोन नंबर +91–11–23221509 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।